5/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी सं 6. स्वयं उप. ~~वकील~~ व अप्रार्थी सं. 5,7,8 व 16 द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी सं. 5,7,8 व 16 के जवाब प्रा.पत्र का अवसर बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय बहस का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 पर आदेश हेतु दि. 12/10/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C/N 05/2023

12/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शामिल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2023

1. कर्मराज पुत्र श्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. धर्मराज पुत्र श्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. भागराज पुत्र श्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री बाला जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. रामप्रकाश पुत्र श्री बाला जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. शिवप्रकाश पुत्र श्री बाला जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. शुद्धिप्रकाश पुत्र श्री बाला जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. नन्दलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. निजराम उर्फ निरंजन पुत्र श्री श्योपाल जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. सुखराम पुत्र श्री हजारी जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. सूरजभान पुत्र श्री हजारी जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. अमरचन्द पुत्र दुधार जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. कैलाश पुत्र श्री दुधार जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. देवराज पुत्र श्री दुधार जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. हेमराज पुत्र श्री दुधार जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. केदार पुत्र श्री सहदेव जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
14. दातार पुत्र श्री सहदेव जाति गुर्जर निवासी रामपुरा की ढाणी, पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

15. ग्राम पंचायत सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये सचिव/सरपंच
16. तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

दिनांकः 12/10/2023

उपस्थितः श्री परमानन्द शर्मा प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री परमानन्द शर्मा के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 497/254 रकबा 4.1097 हैक्टेयर भूमि ग्राम रामपुरा की ढाणी पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी सं0 1 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी सं0 3 का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि ख0नं0 497/254 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की ख0नं0 480/254 की कृषि भूमि, दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 5 लगायत 8 की ख0नं0 244 की कृषि भूमि, पूर्व दिशा में रास्ता की भूमि ख0नं0 246 की भूमि एवं उक्त के बाद अप्रार्थी सं0 9 से 14 की ख0नं0 193 की भूमि तथा उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 15 की आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि ख0नं0 247 स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी भूमि के खातेदारों/हिस्सेदारों/मालिको के मध्य विवाद होने के कारण एक दूसरे की भूमि पर अवैध रूप से घुसने का प्रयास करते रहते है जिसके कारण कई मर्तबा आपस में कहासुनी होकर विवाद होकर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ के यहा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के बाबत् सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया था जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 17.06.2022 को आदेश दिये गये एवं उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.06.2022 को राजस्व अधिकारी सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर गये थे परन्तु पड़ौसी खातेदार सहमत नहीं होने के कारण से विवाद का निस्तारण नहीं हुआ। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का नाप चौप करके

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पत्थरगढ़ी कर सीमा चिन्ह अंकित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। वाद कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के पड़ौसी खातेदारों/हिस्सेदारों/मालिको के मध्य विधिक रूप से नाप चौप होकर सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से तहसीलदार किशनगढ़ के यहा सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत् आवेदन पेश करने पर तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा सीमाज्ञान हेतु दिनांक 17.06.2022 को आदेश जारी करने पर दिनांक 23.06.2022 को सीमाज्ञान की कार्यवाही से विवाद का निस्तारण नहीं होने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम रामपुरा की ढाणी पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ स्थित कृषि भूमि ख0नं0 497/254 रकबा 4.1097 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थी सं0 16 से नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करवाकर सीमा चिन्ह अंकित करवाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एवं 9 लगायत 15 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 5, 7, 8 एवं 16 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 6 की ओर से वकील श्री प्रमोद शर्मा द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता की भूमि ख0नं0 244 के दक्षिण दिशा में लगते हुए ख0नं0 497/254 के खातेदार आगे बढ़े हुए है जिसका सही नाप करके सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जाये और मेरी जमीन को ख0नं0 497/254 में दबी हुई है उसे मुझे दिलाई जावे एवं नक्शा के मुताबिक नाप किया जावे।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 497/254 रकबा 4.1097 हैक्टेयर भूमि ग्राम रामपुरा की ढाणी पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी भूमि के खातेदारों/हिस्सेदारों/मालिको के मध्य विवाद होने के कारण एक दूसरे की भूमि पर अवैध रूप से घुसने का प्रयास करते रहते है जिसके कारण कई मर्तबा आपस में कहासुनी होकर विवाद होकर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

जाती है। इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ के यहा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के बाबत् सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया था एवं राजस्व अधिकारी सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर गये थे परन्तु पड़ौसी खातेदार सहमत नहीं होने के कारण से विवाद का निस्तारण नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करवाकर सीमा चिन्ह अंकित करयाने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। ग्राम रामपुरा की ढाणी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 497/254 रकबा 4.1097 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 497/254 रकबा 4.1097 हैक्टेयर का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम रामपुरा की ढाणी तहसील किशनगढ़ जिला में स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 497/254 रकबा 4.1097 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकार कि उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/10/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)